कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपकम)
निष्ठापरिसर, गोविंदपुरा, भोपाल– 462023
फोन आफिस 0755–2602033.34, 2678325:383:325–फैक्स–2589821 ई–मेल secommercialcz@yahoo.co.in
बैवसाइट www.mpcz.co.inCIN Number:U40109MP2002SGC015119

बकाया राशि समाधान योजना–2016
योजना का विवरण

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में 25 फरवरी 2016 से **''बकाया राशि समाधान योजना–2016''** लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ कंपनी क्षेत्रांतर्गत सभी 16 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य **म.प्र. शासन** के मंशानुसार बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आार्थिक स्थिति से कमजोर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली की रोशनी उपलब्ध करवाना है। संभावना है कि **''बकाया राशि–समाधान योजना–2016''** से ऐसे परिवार मुख्य धारा में आ जाएंगे। यह योजना 31 मई 2016 तक लागू रहेगी।

बिजली कंपनी देगी छूट :– **''बकाया राशि समाधान योजना–2016''** से लाभान्वित होने वाली उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। **प्रथम श्रेणी** में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता एवं **द्वितीय श्रेणी** में अन्य घरेलू उपभोक्ता।

प्रथम श्रेणी की छूट :– प्रथम श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं के लिये दो विकल्प निर्धारित किए गए हैं। **विकल्प अ** में यदि उपभोक्ता संपूर्ण बिजली बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान के साथ निराकरण करना चाहता है, तो उपभोक्ता की दिसम्बर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जायेगी और उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिजली बिल के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता की शेष 50 प्रतिशत राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा **''बकाया राशि समाधान योजना–2016''** के अंतर्गत विकल्प ब में यदि उपभोक्ता किश्तों में बिजली बिल का भुगतान करना चाहता है, तो उपभोक्ता की दिसम्बर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किश्तों का भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर नियमानुसार सरचार्ज लगाया जाएगा। **विकल्प ब** में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा एवं उसकी 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता को तृतीय माह से छठे माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि की 10–10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। छठे माह में उपभोक्ता को प्रारंभिक मूल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि की भी छूट प्रदान की जाएगी।

द्वितीय श्रेणी की छूट :– मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी दो विकल्प रखे है। **विकल्प अ** में इस श्रेणी के उपभोक्ता यदि संपूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर निराकरण करना चाहते है, तो दिसम्बर 2015 की स्थिति में उनकी मूल बकाया राशि स्थिर की दी जाएगी और उन्हें प्रथम माह में चालू माह के बिल (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि का 100 प्रतिशत राशि जमा करने पर, उसके सरचार्ज की 100 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। **विकल्प ब** में यदि उपभोक्ता जुड़ना चाहता है तो उपभोक्ता दिसम्बर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ के साथ किश्तों का भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर नियमानुसार सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ब में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह के छठे माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा, तब उसकी छठे माह में 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।

''बकाया राशि समाधान योजना–2016'' में ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है एवं जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध बकाया राशि हेतु न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और उनके प्रकरण लंबित हैं। ऐसे उपभोक्ता न्यायालय में अपने प्रकरण वापस लेकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज हों, वे भी निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों का पालन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

निदेशक (वाणिज्य)